



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated To Truth in Public Interest

कार्यालय

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य के वन / जलागम प्रभागों की
कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2018–19

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	02
2.	महत्वपूर्ण बिन्दु	03
3.	संस्कृतियां	04–05
4.	परिचयात्मक	06
5.	संरचना	07
6.	भाग—प्रथम (लेखा)	08 से 15
7.	भाग—द्वितीय (लेखा परीक्षा)	16
8.	परिशिष्ट-1 से 19	17 से 45

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-I के प्रस्तर 9.10 के प्रावधान के अनुसार इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए वन विभाग एवं जलागम परियोजना के प्रभागों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा तैयार की जाती है एवं अनुवर्ती वित्त वर्ष के 31 दिसम्बर तक राज्य सरकार को भेज दी जाती है। इस समीक्षा का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के वन विभाग एवं जलागम परियोजना के प्रभागों के लेखों के रख-रखाव एवं लेखांकन में परिलक्षित अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं सामान्य प्रकृति की त्रुटियों को इंगित करके उनमें आवश्यक सुधार करना है। इसके अतिरिक्त इसमें लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा में यदि महत्वपूर्ण अनियमितताएं पायी जाती हैं तो उनको भी सम्मिलित किया जाता है। वन विभाग के लेखा कर्मचारियों द्वारा मासिक लेखे तैयार करने में आवश्यक लेखा नियमों, प्रणालियों की पर्याप्त जानकारी के अभाव में लेखा या तो पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये जाते हैं या तैयार भी किये जाते हैं तो उनकी गुणवत्ता उच्च स्तरीय नहीं होती है, इसलिए वन विभाग एवं जलागम परियोजना के प्रभागों द्वारा लेखा संधारण में अभी भी सुधार की सम्भावनाएँ हैं।

मैं आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड राज्य के वन विभाग एवं जलागम परियोजना के लेखा कर्मचारियों/अधिकारियों को लेखांकन की त्रुटियों को सुधारने तथा भविष्य में नियमानुसार कार्य सम्पादित करने की दृष्टि से मार्गदर्शन करने में उपयोगी सिद्ध होगा।

दिनांक:-
स्थान:-देहरादून

संदीप सिंह
महालेखाकार

महत्वपूर्ण बिन्दु
प्रथम भाग लेखा

1. प्रभागों द्वारा मासिक लेखे विलम्ब से कार्यालय महालेखाकार को प्रस्तुत किये गये (प्रस्तर-1)।
2. प्रभागों द्वारा प्राप्ति एवं व्यय के अंकड़ों का त्रैमासिक मिलान निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया (प्रस्तर-2)।
3. मासिक लेखों के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति के स्थान पर छायाप्रति भेजी गयी तथा सार के अन्त में निर्धारित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया (प्रस्तर-3)।
4. माह के दौरान निर्गत E-payment के सापेक्ष भुगतान के पश्चात् अवशेष E-payment का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया (प्रस्तर-4)।
5. विभिन्न प्रभागों द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में वन अग्रिम की वसूली/समायोजन न किया जाना (प्रस्तर-5)।
6. मासिक लेखे के साथ प्रेषित आय तथा व्यय के विभिन्न प्रपत्रों/प्रमाणकों तथा अनुसूचियों में अपूर्ण लेखा वर्गीकरण का अंकन (प्रस्तर-6)।
7. कोषागार में जमा चालानों की प्रति मासिक लेखे के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया (प्रस्तर-7)।
8. संकलित मासिक लेखे में आयकर, स्टाम्प ड्यूटी तथा बिक्री कर को अनावश्यक दर्शाया गया (प्रस्तर-8)।
9. वर्ष 2018-19 में वन विभाग के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान/नवीन आवंटन प्रकरणों के सम्बन्ध में (प्रस्तर-9)।
10. मासिक लेखे के साथ कोषागार मिलान एवं CCL/DCL Passbook संलग्न न किया जाना (प्रस्तर-10 एवं 11)।
11. मासिक लेखों के साथ वन जमा के आय/व्यय प्रपत्र (ई-23) संलग्न न किया जाना (प्रस्तर-12)।
12. CTR 8782 Receipt (Generated by Core Treasury System) प्रपत्र मासिक लेखों के साथ प्रेषित न किया जाना (प्रस्तर-13)।
13. अन्य विभिन्न त्रुटियां (प्रस्तर-14)।

द्वितीय भाग लेखापरीक्षा

1. लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी अनियमितताएँ।

संस्तुतियाँ

महालेखाकार कार्यालय द्वारा तैयार किये जाने वाले राज्य के वित्त एवं विनियोजन लेखों में वन विभाग एवं जलागम परियोजना के व्यय एवं प्राप्ति के यथार्थ एवं सही आंकड़े सम्मिलित होने चाहिए। इस दृष्टि से प्रभागों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले संकलित मासिक लेखों की समीक्षा की जाती है और प्रकाश में आये परिणामों से सम्बन्धित प्रभागों को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। इसी क्रम में खण्डों के लेखों में सुधार एवं गुणवत्ता में वृद्धि की दृष्टि से राज्य शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा वन विभाग एवं जलागम परियोजना के अधिकारियों को निम्नलिखित अनुदेश जारी किये जाने चाहिए:—

1. कार्यालय महालेखाकार को मासिक लेखे अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि तक भेजना सुनिश्चित करें।
2. इस कार्यालय द्वारा प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों के मिलान हेतु निर्धारित तिथि तक आंकड़ों का मिलान कराना सुनिश्चित करें।
3. वर्गीकृत सार में निर्धारित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें।
4. वन/जलागम प्रभागों के माह के दौरान अनाहरित अवशेष चेकों की सूची मासिक लेखे के साथ भेजना सुनिश्चित करें।
5. संकलित मासिक लेखों में स्टाम्प ड्यूटी, आयकर तथा बिक्री कर की राशि को सम्मिलित न किया जाना सुनिश्चित करें।
6. वन प्रेषण के अन्तर्गत कोषागार में जमा धनराशि के चालानों की प्रति एवं विवरण सूची अनिवार्य रूप से मासिक लेखे के साथ भेजना सुनिश्चित करें।
7. मासिक लेखे के साथ संलग्न सम्बन्धित प्रपत्रों/प्रमाणकों/अनुसूचियों में पूर्ण लेखा वर्गीकरण अंकित करना सुनिश्चित करें।
8. विभाग द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य निष्पादन हेतु दी जाने वाली वन अग्रिम राशि का समायोजन/वसूली वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
9. विभागों से सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सा.भ.नि. के ऋणात्मक प्रकरणों की वसूली कराना सुनिश्चित करें।
10. चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्त कर्मचारियों की धनराशि स्थानान्तरण चालान के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें।

11. संकलित मासिक लेखों के साथ सी0टी0आर0(प्राप्ति) 8782 की सत्यापित प्रति संलग्न कर प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
12. संकलित मासिक लेखों के साथ आय-व्यय प्रपत्र (ई-23) की सत्यापित प्रति संलग्न कर प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
13. संकलित मासिक लेखों के साथ सीसीएल/डीसीएल पासबुक एवं कोषागार मिलान की सत्यापित प्रति प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

वन विभाग एवं जलागम परियोजना के प्रभागों की कार्य प्रणाली पर वर्ष 2018-19 की वार्षिक समीक्षा आख्या

परिचयात्मक

यह समीक्षा उत्तराखण्ड राज्य के वन विभाग एवं जलागम परियोजना के प्रभागों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन है। विभिन्न प्रभागों के मासिक लेखों में हो रही निरन्तर व सामान्य प्रकृति की अनियमितताओं को इस समीक्षा आख्या में सम्मिलित किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेख किया जाता है कि इस समीक्षा आख्या में जो भी अनियमितताएं, कमियाँ एवं त्रुटियाँ शामिल की गयी हैं वे विस्तृत नहीं बल्कि उदाहरण के रूप में हैं।

दिनांक 31.03.2019 को वन विभाग (परिशिष्ट-1) एवं जलागम (परिशिष्ट -2) परियोजना के प्रभागों की कुल संख्या 56 थी। विभाग वार प्रभागों की संख्या निम्न है:

क्रम संख्या	विभाग	प्रभागों की संख्या
1.	वन विभाग के वृत्त/प्रभाग	46
2.	जलागम परियोजना के वृत्त/प्रभाग	10
	योग	56

संरचना

समीक्षा आख्या दो भागों में निम्नवत् तैयार की गयी है:-

प्रथम—भाग: इस भाग में प्रभागों से प्राप्त हुये मासिक लेखों की प्रारम्भिक जाँच एवं लेखों के संकलन के दौरान पायी गयी कमियों/अनियमितताओं को शामिल किया गया है।

द्वितीय—भाग: इस भाग में लेखा परीक्षा कार्यालय के केन्द्रीय लेखा परीक्षा के दौरान वन प्रभागों में पायी गयी वित्तीय अनियमितताओं एवं त्रुटियों को शामिल किया गया है।

भाग— प्रथम

(लेखा)

प्रस्तर 1: मासिक लेखों का विलम्ब से भेजा जाना:—

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर 201 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभागों के संकलित मासिक लेखे सभी प्रपत्रों सहित (केवल माह मार्च के लेखे को छोड़कर) अगले माह 10 तारीख तक एवं मार्च माह के मासिक लेखे 20 अप्रैल तक महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। ऐसा प्रकाश में आया है कि कतिपय वन प्रभागों के अधिकारियों द्वारा संकलित मासिक लेखे महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा संबंधित प्रभागीय अधिकारी एवं शासन को स्थिति अवगत कराने के पश्चात् भी मासिक लेखे विलम्ब से प्रेषित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये। सूच्य है कि मासिक लेखे विलम्ब से प्राप्त होने के कारण संबंधित माह के राज्य लेखे में मासिक लेखों को शामिल न किये जाने पर उस माह के राज्य लेखे का वास्तविक व्यय चिन्हित नहीं हो पाता है।

महालेखाकार कार्यालय में वर्ष 2018-19 में अधिकांश लेखों के प्राप्त होने में एक से सोलह दिनों का विलम्ब हुआ है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले लेखों की स्थिति निम्न तालिका-1 में अंकित है तथा विलम्ब से प्राप्त हुये मासिक लेखों की प्रभागवार एवं माहवार स्थिति परिशिष्ट '3' एवं '4' में दी गई है।

तालिका—1

माह	माह में कुल लेखों की संख्या		नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले लेखों की संख्या		विलम्ब से प्राप्त लेखों का प्रतिशत	
	वन	जलागम	वन	जलागम	वन	जलागम
04 / 2018	46	10	10	02	22	20
05 / 2018	46	10	7	01	15	10
06 / 2018	46	10	11	03	24	0
07 / 2018	46	10	12	01	26	10
08 / 2018	46	10	16	03	35	30
09 / 2018	46	10	13	0	28	0
10 / 2018	46	10	11	0	24	0
11 / 2018	46	10	18	0	39	0
12 / 2018	46	10	15	0	33	0
01 / 2019	46	10	12	0	26	0
02 / 2019	46	10	21	02	46	20
03 / 2019	46	10	10	01	22	10
वार्षिक औसत प्रतिशत					28	08

शासन को ऐसे प्रभागों को कड़े निर्देश जारी करने की आवश्यकता है जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय में मासिक लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है एवं कृत कार्यवाही से कार्यालय महालेखाकार को भी अवगत कराना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर-2: वन प्रभागों द्वारा त्रैमासिक लेखा मिलान पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिये प्रभागीय अधिकारियों द्वारा वास्तविक व्यय पर सतत दृष्टि का अभाव:-

प्राप्ति एवं व्यय के सही तथा वास्तविक आंकड़ों को प्राप्त करने हेतु वन प्रभागों के लेखे में दर्शाये गये प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का महालेखाकार कार्यालय के अभिलेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मिलान किया जाना अति आवश्यक है, जिससे राज्य सरकार के लेखे में लेखाशीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक आंकड़े प्रदर्शित हो सके। अतः प्रभागीय अधिकारियों को अपने प्रभागों के लेखे में दर्शाये गये आंकड़ों का इस कार्यालय के अभिलेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मिलान निम्न निर्धारित दिनांक तक अवश्य करा लेना चाहिए था:-

क्रम सं0	त्रैमास	लेखे की अवधि	मिलान की निर्धारित तिथि
1.	प्रथम	अप्रैल से जून तक	26.07.18 से 17.08.18 तक
2.	द्वितीय	जुलाई से सितम्बर तक	29.10.18 से 16.11.18 तक
3.	तृतीय	अक्टूबर से दिसम्बर तक	28.01.19 से 18.02.19 तक
4.	चतुर्थ	जनवरी से मार्च तक	13.05.19 से 31.05.19 तक

विभिन्न प्रभाग (की सूची-विभाग वार) जिन्होंने विभिन्न त्रैमासों में प्रभागीय आंकड़ों का मिलान वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत उक्त निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय में पुस्ताँकित आँकड़ों से नहीं कराया गया, की सूची परिशिष्ट-5 में दी गई है।

कोषागार से प्राप्त वन विभाग के लेखों के सम्बन्ध में यह भी पाया गया है कि प्राप्ति शीर्ष '0406 एवं 0407' में आंकड़ों का मिलान कार्य वर्ष 2018-19 में किसी भी वन प्रभाग द्वारा नहीं कराया गया है, जबकि प्राप्ति शीर्ष से सम्बन्धित लेखा का मिलान कार्य कराया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। लेखाशीर्ष 0406 से सम्बन्धित मिलान योग्य धनराशि ₹3687349123/- है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि मिलान प्रक्रिया का उद्देश्य लेखाओं में पारी गयी किसी भी कमी/त्रुटि को सुधारना है जिससे कि राज्य के मासिक लेखों में धनराशि आवंटित बजट के सापेक्ष सही परिलक्षित हो। मिलान न कराने एवं विलम्ब से मिलान कराने से मासिक लेखों में राज्य की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं हो पाती है।

अतः शासन से अनुरोध है कि सम्बन्धित विभागों को निर्धारित तिथि तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ त्रैमास के आंकड़ों का महालेखाकार कार्यालय के आंकड़ों से मिलान कराने हेतु आवश्यक निर्देश दें। विभागों में समय पर मिलान सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन की प्रणाली विकसित करें एवं उसका सतत पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित करायें।

प्रस्तर-3: मासिक लेखों के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति के स्थान पर छाया प्रति भेजा जाना तथा सार के अन्त में निर्धारित प्रमाण-पत्र अंकित न किया जाना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर 200 के अनुसार प्रति माह भेजे जाने वाले मासिक लेखों के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। परन्तु वर्ष 2018-19 मे पाया गया कि कतिपय प्रभागों द्वारा मासिक लेखे के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति के स्थान पर छाया प्रति/हस्तलिखित कार्बन की प्रति भेजी गयी। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर 188 के अनुसार व्यय के वर्गीकृत व्यय सार प्रपत्र 25 के अन्त में निर्धारित प्रमाण-पत्र अंकित किया जाना चाहिए, (प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट:-7) ताकि लेखों में दर्ज आंकड़ों की सत्यता सिद्ध हो सके, परन्तु पाया गया है कि उक्त नियम का पालन प्रभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है, ऐसे प्रभागों की सूची परिशिष्ट:-6 पर अंकित है। प्रकरण को उच्चाधिकारियों/शासन के संज्ञान में इस आशय से लाया जाता है कि प्रति माह भेजे जाने वाले मासिक लेखे के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति निर्धारित प्रमाण पत्र परिशिष्ट-7 के अनुसार भेजना सुनिश्चित किया जाये।

प्रस्तर-4: माह के दौरान निर्गत **E-payment** के सापेक्ष भुगतान के पश्चात् अवशेष **E-payment** का विवरण उपलब्ध न कराया जाना:-

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हकदारी) खण्ड 1 के प्रस्तर 9.3 के अनुसार प्रभागों द्वारा प्रतिमाह प्रपत्र ई-6 में निर्गत E-payment में से कोषागार द्वारा भुगतान के पश्चात् अवशेष E-payment को कोषागार से मिलान करने के उपरान्त उनकी विवरण सूची मासिक संकलित लेखे के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है, परन्तु पाया गया है कि वन प्रभागों द्वारा उक्त नियम

का पालन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण अवशेष वास्तविक भुगतान की स्थिति ज्ञात नहीं हो पाती है। उच्चाधिकारियों/शासन से अपेक्षा की जाती है कि प्रभागीय अधिकारियों को उक्त प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाये।

प्रस्तर-5: वन प्रभागों के संवितरकों (अधिकारी/अधिनस्थ कर्मचारी) को दिये गये वन अग्रिम धनराशि का समायोजन/वसूली न किया जाना:-

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर-154 के अन्तर्गत वन विभाग के प्रखण्डों के संवितरक अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में भुगतान हेतु वन अग्रिम दिये जाने का प्रावधान है। नियमानुसार इन अग्रिमों का समायोजन सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में किया जाना अपेक्षित है। यदि अग्रिमों का समायोजन न हो पाये तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा असमायोजित धनराशि को शासकीय लेखा में वापस जमा किया जाना चाहिए। विशेष अपरिहार्य परिस्थिति में यदि असमायोजित अवशेष राशि की वसूली सम्बन्धित संवितरक अधिकारी/कर्मचारी से किया जाना सम्भव न हो तो इस धनराशि को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर-166 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन लेखाशीर्षक “प्रकीर्ण” के अधीन बट्टे खाते में डाला जा सकता है।

समीक्षा में पाया गया है कि कुछ प्रखण्डों में दिये गये वन अग्रिम का समायोजन/वसूली अद्यतन लम्बित है। ऐसे प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-8 में दिया गया है। प्रकरण आवश्यक समायोजन/वसूली हेतु उच्चाधिकारियों/शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-6: मासिक लेखे के साथ प्रेषित आय तथा व्यय के वर्गीकृतसार (ई-11), प्रगामी आय/व्यय पत्रक (ई-7) एवं अनुसूचियों/प्रमाणकों पर लेन-देनों से सम्बन्धित लेखाशीर्षों का पूर्ण विवरण न अंकित किया जाना।

नियमानुसार राजस्व एवं व्यय से सम्बन्धित विभिन्न लेन-देनों का लेखा वर्गीकरण 15 अंकीय संहिता में प्रत्येक अभिलेख पर निम्न क्रम में अंकित किये जाने चाहिए:-

1. राजस्व (प्राप्ति):

मुख्य शीर्ष → उप मुख्य शीर्ष → लघु शीर्ष → उप शीर्ष → विस्तृत शीर्ष।

2. व्यय (भुगतान):

अनुदान संख्या → → मुख्य शीर्ष → उप मुख्य शीर्ष → लघु शीर्ष → उप शीर्ष → विस्तृत शीर्ष।

विभिन्न वन प्रभागों/जलागम प्रभागों से प्राप्त मासिक लेखा के साथ संलग्न उक्त अभिलेखों की जाँच करने पर यह पाया गया कि कुछ प्रभागों द्वारा उपरोक्तानुसार राजस्व/व्यय के लेखाशीर्ष अंकित नहीं किये गये हैं, परिणामतः महालेखाकार कार्यालय में तैयार मासिक एवं वार्षिक लेखों में भी उक्त कारण से त्रुटि परिलक्षित होने की सम्भावना रहती है।

अतः प्रभागों द्वारा प्रेषित मासिक लेखों के अभिलेखों में पूर्ण लेखा वर्गीकरण का अंकन सुनिश्चित किए जाने की नितान्त आवश्यकता है।

प्रस्तर-7: कोषागार में जमा चालानों की प्रति मासिक लेखे के साथ प्रस्तुत न किया जाना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर 184 के अनुसार वन प्रभागों द्वारा मुख्य लेखाशीर्ष 8782-00-103-01 वन प्रेषण के अन्तर्गत कोषागार में जमा धनराशि के चालानों की प्रति एवं विवरण सूची (E-14) मासिक लेखे के साथ इस कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए, ताकि लेखे में अंकित राशि की पुष्टि चालान की राशि से की जा सके। परन्तु पाया गया कि वर्ष 2018-19 में परिशिष्ट-9 में दर्शाये गये प्रभागों द्वारा उपर्युक्त चालानों की प्रति मासिक लेखे के साथ प्रेषित नहीं की गयी है।

प्रस्तर-8: संकलित मासिक लेखे में अनावश्यक रूप से आयकर, स्टाम्प ड्यूटी, बिक्री कर तथा जी0एस0टी0 को दिखाया जाना:-

कुछ प्रभागों द्वारा संकलित मासिक लेखे में मुख्य लेखाशीर्ष -0021, 0030 तथा 0040 की राशियों को आय और व्यय पक्ष में दर्शाया जा रहा है जबकि इन राशियों को उक्त मुख्य लेखाशीर्ष में कोषागार में चालान के द्वारा जमा किया जाता है। कोषागार अपने मासिक लेखे के साथ उक्त मुख्य लेखाशीर्षों की जमा राशियों का विवरण महालेखाकार को प्रस्तुत करते हैं, तदनुसार इसका लेखांकन इस कार्यालय के वी0एल0सी0 अनुभाग द्वारा किया जाता है। अतः वन प्रभागों द्वारा संकलित लेखे में उक्त शीर्षों में चालान द्वारा जमा राशियों को नहीं दर्शाया जाना चाहिये, क्योंकि इससे लेखांकन में असुविधा होती है तथा धनराशि के दोहरे (Double) लेखांकन की सम्भावना रहती है, ऐसे प्रभागों का विवरण परिशिष्ट-10 पर अंकित है।

प्रस्तर-9: वर्ष 2018-19 में वन विभाग के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान/नवीन आवंटन प्रकरणों के सम्बन्ध में

1. वर्ष 2018-19 तक वन विभाग के सम्बन्धित सा0भ0नि0 अधिक भुगतान प्रकरणों में से 7 प्रकरणों में ₹346136/- की वसूली कई स्मरण-पत्र भेजने के बावजूद अभी तक नहीं हुई है। उक्त प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-11 में अंकित है।
2. वर्ष 2018-19 के दौरान वन विभाग से सम्बन्धित कुल 257 सा0भ0नि0 अंतिम भुगतान प्रकरण प्राप्त हुए थे जिनके प्राधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान

01 ऋणात्मक प्रकरण संज्ञान में आया है, जबकि 03 ऋणात्मक प्रकरणों में वसूली की गई है।

3. वन विभाग के विभिन्न खण्डीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि लेखों के मिलान की कार्यवाही की जा रही है।
4. वन विभाग के सांभारणी खाता धारकों की संख्या वर्ष 2018-19 तक 2163 थी एवं वर्ष 2018-19 में चतुर्थ श्रेणी से प्रोन्नत हो कर कुल 159 सदस्यों के नवीन सांभारणी खाते खोल दिये गये, जिसमें 01 नवीन सांभारणी खाता संख्या वर्ग 'क' को आवंटित किया गया।
5. मुख्यालय के निर्देशानुसार लेखापर्ची कार्यालय द्वारा जारी करना बंद कर दिया गया है अभिदाता अपनी लेखापर्ची कार्यालय की वेबसाइट www.agua.cag.gov.in पर जाकर स्वयं निकाल सकते हैं।
6. वर्तमान में कई प्रकरण संज्ञान में आया है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जिनकी प्रोन्नति तृतीय श्रेणी में हो गई है, उन कर्मचारियों की धनराशि का स्थानान्तरण तृतीय श्रेणी में नहीं किया गया है जिसके कारण इन कर्मचारियों का सांभारणी खाते में धनराशि ऋणात्मक प्रदर्शित हो रही है। उक्त प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-12 में अंकित है।

प्रस्तर-10: मासिक लेखों में रोकड़ बही (ई-7) और कोषागार मिलान (**Treasury Reconciliation**) में भिन्नता:-

उत्तराखण्ड शासन द्वारा माह जुलाई 2014 से चेकों द्वारा भुगतान की प्रणाली को समाप्त कर E- Payment द्वारा भुगतान की प्रक्रिया को लागू किया गया।

इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रभागों द्वारा **on-line** भुगतान कोषागारों के माध्यम से ई-पेमेन्ट द्वारा सीधे खातों में स्थानान्तरण किया जाता है। अतः इस प्रणाली के लागू होने एवं चेकों द्वारा रोकड़ बही (ई-7) एवं भुगतान सूची(ई-6) के आकड़ों और कोषागार मिलान प्रपत्र (**Treasury Reconciliation**) के आकड़ों का योग एक ही समान होना चाहिए परन्तु कुछ प्रभागों के उक्त प्रपत्रों में भिन्नता पायी गयी है। (परिशिष्ट-14)

प्रस्तर-11: मासिक लेखों के साथ सी०सी०एल०/डी०सी०एल० पासबुक संलग्न न किया जाना।-

वन/जलागम प्रभागों द्वारा माह के दौरान सिविल/जमा कार्यों में व्यय की गयी धनराशि का मासिक लेख से मिलान हेतु सी०सी०एल०/डी०सी०एल० पासबुक के प्रपत्र होना आवश्यक होता है। परन्तु कुछ वन/जलागम प्रभागों द्वारा उक्त प्रपत्र मासिक लेखों के साथ

संलग्न न किये जाने से व्यय के मिलान का कार्य बाधित होता है। उक्त प्रपत्र संलग्न न करने वाले प्रभागों की सूची परिशिष्ट-15 में अंकित है।

प्रस्तर-12: मासिक लेखों के साथ वन जमा के आय/व्यय प्रपत्र (ई-23) संलग्न न किया जाना:-

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर 198 के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा प्रति माह वन निक्षेपों के अन्तर्गत प्राप्तियों और समायोजनों के ब्यौरे और निक्षेप की प्रत्येक मद का अन्तिम शेष पृथक-पृथक प्रपत्र संख्या 23 में दर्शाया जाना चाहिए। जिससे प्रभागवार माह के दौरान प्राप्ति एवं व्यय और अन्तिम शेषों का मिलान किया जा सके।

समीक्षा में पाया गया कि कुछ वन प्रभागों द्वारा वन निक्षेप प्रपत्र (ई-23) मासिक लेखों के साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है। ऐसे वन प्रभागों की सूची परिशिष्ट-17 में दर्शायी गयी है।

प्रस्तर-13: **CTR 8782 Receipt (Generated by Core Treasury System)** प्रपत्र मासिक लेखों के साथ प्रेषित न किया जाना:-

वन प्रभागों द्वारा CTR 8782 Receipt (Generated by Core Treasury System) प्रपत्र मासिक लेखे के साथ प्रेषित किया जाना आवश्यक है ताकि ई-14 (चालान विवरणी) के साथ आंकड़ों का मिलान किया जा सके एवं मुख्य लेखाशीर्ष 8782 की ब्रॉडशीट तैयार की जा सके।

समीक्षा में पाया गया है कि कुछ वन प्रभागों द्वारा CTR 8782 Receipt (Generated by Core Treasury System) प्रपत्र को मासिक लेखे के साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है। ऐसे वन प्रभागों की सूची परिशिष्ट-16 में दर्शायी गयी है।

प्रस्तर-14: मासिक लेखों में पायी गयी अन्य त्रुटियाँ:-

वन प्रभागों से प्राप्त मासिक लेखों की जाँच में निम्न प्रकार की त्रुटियाँ सामान्यतः प्रकाश में आयी हैं:-

1. कुछ वन प्रभागों द्वारा प्रेषित मासिक लेखों में रोकड़ बही के अन्तर्गत अनुदान संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसे प्रभागों की सूची परिशिष्ट-13 में दर्शायी गयी है।
2. लेखा संहिता भाग-तीन के अनुसार अनुसूचियाँ निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर भेजी जानी चाहिए, जिससे अनुसूचियों का मिलान मासिक लेखे से करने में सुगमता रहे, परन्तु प्रायः

यह देखने में आया है कि प्रभागों द्वारा अनुसूचियाँ निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर मासिक लेखे के साथ नहीं भेजी जाती हैं, जिससे अनुसूचियों से मासिक लेखा का मिलान पूर्णतः नहीं हो पाता है।

3. मासिक लेखों के साथ संलग्न अनुसूचियों में योग त्रुटिपूर्ण रहता है, जिससे उक्त राशियों का मिलान रोकड़ बही से करके लेखांकन करना सम्भव नहीं हो पाता है।
4. रोकड़ बही में लेखाशीर्ष व नामावली अंकित नहीं रहती है अथवा त्रुटिपूर्ण अंकित रहती है, जिस कारण आय/व्यय का बजट से सही मिलान नहीं हो पाता है। अतएव लेखा वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण रहने की संभावना रहती है।
5. रोकड़ वही (ई-7) में फॉरेस्ट डिपोजिट के मदों में प्राप्ति और जमा धनराशि के समुख कुछ प्रभागों द्वारा मुख्य लेखाशीर्ष गलत दर्ज किया जाता है, जबकि प्राप्ति में लेखाशीर्ष 8443 और जमा में 8782 दर्ज होना चाहिए। गलत लेखाशीर्ष होने से लेखों में त्रुटियाँ होने की संभावना रहती है।
6. कुछ प्रभागों द्वारा मासिक लेखे के साथ व्यय विवरण सारांश संलग्न नहीं रहता है, जिसके कारण लेखाकंन का कार्य करने में असुविधा होती है।

भाग—द्वितीय

(लेखापरीक्षा)

लेखापरीक्षा के दौरान पाई गयी अनियमितताएँ

वर्ष 2018-19 के दौरान वन प्रभागों एवं जलागम प्रभागों की लेखापरीक्षा के दौरान अनेक प्रकार की अनियमितताएँ/कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गयी। महत्वपूर्ण अनियमितताओं की सूची परिशिष्ट-18 एवं 19 में दी गयी है।

उपर्युक्त सभी प्रकरणों में वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा सुधारात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। अतः शासन के ध्यान में उक्त त्रुटियाँ/अनियमितताएँ लाते हुए भविष्य में उक्त त्रुटियों/अनियमितताओं की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु शासन से समुचित कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है।

उपमहालेखाकार / लेखा

परिशिष्ट-1

वन विभाग के वृत्तों/प्रभागों की सूची

क्रम संख्या	एफ0आर0डी0 कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
1.	021	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी
2.	022	उप वन संरक्षक	उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
3.	023	उप वन संरक्षक	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी
4.	024	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-1, नई टिहरी
5.	025	प्रभागीय वनाधिकारी	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर
6.	026	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-2, उत्तरकाशी
7.	041	प्रभागीय वनाधिकारी	गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
8.	042	प्रभागीय वनाधिकारी,	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
9.	043	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी
10.	044	प्रभागीय वनाधिकारी	अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर
11.	045	प्रभागीय वनाधिकारी	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग
12.	081	प्रभागीय वनाधिकारी	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
13.	082	प्रभागीय वनाधिकारी	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
14.	083	प्रभागीय वनाधिकारी	अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
15.	084	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
16.	085	प्रभागीय वनाधिकारी	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत
17.	111	प्रभागीय वनाधिकारी	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर
18.	112	उप वन संरक्षक	नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ, चमोली
19.	121	प्रभागीय वनाधिकारी	कालागढ़ टाईगर रिजर्व प्रभाग, लैंसडौन
20.	151	प्रभागीय वनाधिकारी	लैंसडौन वन प्रभाग, लैंसडौन
21.	152	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैंसडौन
22.	153	प्रभागीय वनाधिकारी	देहरादून वन प्रभाग, देहरादून
23.	154	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी
24.	155	प्रभागीय वनाधिकारी	हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार
25.	161	प्रभागीय वनाधिकारी	अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल
26.	162	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल
27.	163	प्रभागीय वनाधिकारी	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल
28.	164	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत
29.	181	प्रभागीय वनाधिकारी	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

क्रम संख्या	एफ0आर0 डी0कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
30.	182	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी
31.	183	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, विकास भवन रुद्रपुर
32.	184	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल
33.	185	प्रभागीय वनाधिकारी	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
34.	191	उप वन संरक्षक	चक्राता वन प्रभाग, कालसी
35.	192	प्रभागीय वनाधिकारी	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट
36.	193	उप वन संरक्षक	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
37.	194	प्रभागीय वनाधिकारी	टौन्स वन प्रभाग, पुरोला, उत्तरकाशी
38.	301	वन वर्धनिक	साल क्षेत्र, हल्द्वानी
39.	सी-05	मुख्य वन संरक्षक	गढ़वाल एवं प्रशासन पौड़ी
40.	सी-14	वन वर्धनिक	हिल रीजन, नैनीताल
41.	सी-32	उप निदेशक	गंगोत्री, राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी
42.	सी-33	उप निदेशक	गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला
43.	सी-34	निदेशक	राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून
44.	सी-35	निदेशक	कार्बंट टाइगर रिजर्व, रामनगर, उत्तराखण्ड (नैनीताल)
45.	सी-36	निदेशक	उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी, (नैनीताल)
46.	सी-38	वन संरक्षक	पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी

परिशिष्ट-2

जलागम विभाग के वृत्तों/प्रभागों की सूची

क्रम संख्या	एफ0आर0डी0 कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
1.	सी-24	परियोजना निदेशक प्रशासन	जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरा नगर देहरादून।
2.	सी-26	परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरेती
3.	सी-27	परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी
4.	261	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, विकास नगर, फेज-2, देहरादून
5.	265	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, (पी0एम0यू0), देहरादून
6.	266	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, फेज-2, थत्यूड, टिहरी
7.	267	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, फेज-2, पौड़ी
8.	273	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, फेज-2, बागेश्वर
9.	274	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, फेज-2, पिथौरागढ़
10.	275	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, फेज-2, अल्मोड़ा

परिशिष्ट—3
नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले लेखाओं की सूची “वन विभाग”
(प्रस्तर-1 भाग प्रथम)

क्र0 सं0	एफ. आर. डी. कोड	प्रभाग / वृत्त	2018-19 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
1.	021	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी	-	-	-	-	-	-	-	-	15.01.19	-	13.03.19	-
2.	022	उप वन संरक्षक, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी	18.05.18	-	-	17.08.18	13.09.18	-	-	-	15.01.19	15.02.19	-	-
3.	023	उप वन संरक्षक, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी	-	-	-	13.08.18	11.09.18	15.10.18	19.11.18	-	14.12.19	15.02.19	15.03.19	26.04.19
4.	024	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम-1, नई टिहरी	-	-	-	-	-	-	-	-	15.01.18	-	13.03.19	-
5.	025	प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर	-	-	-	14.08.18	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	026	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम-2, उत्तरकाशी	-	-	-	14.08.18	12.09.18	15.10.18	16.11.18	11.12.18	-	15.02.2019	14.03.19	24.04.19
7.	041	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी	14.05.18	20.06.18	18.07.18	-	-	16.10.18	-	-	21.01.19	-	-	-
8.	042	प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर		12.06.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	043	प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी	-	-	-	-	20.09.18	-	-	18.12.18	-	-	-	-
10.	044	प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	045	प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	081	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़	18.05.18	21.06.18	-	20.08.18	20.09.18	16.10.18	19.11.18	17.12.18	19.1.19	18.02.19	-	03.05.19

क्र० सं	एफ. आर.डी. कोड	प्रभाग / वृत्त	2018-19 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
13.	082	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर	-	-	13.07.18	13.08.18	14.09.18	16.10.18	19.11.18	17.12.18	16.01.19	15.02.19	15.03.19	24.04.19
14.	083	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	21.05.18	19.06.18	-	-	18.09.18	17.10.18	-	18.12.18	14.01.19	15.02.19	12.03.19	02.05.19
15.	084	प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा	17.05.18	18.06.18	16.07.18	-	17.09.18	17.10.18	-	13.12.18	14.01.19	18.02.19	13.03.19	-
16.	085	प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत	-	-	11.07.19	20.08.18	12.09.18	16.10.18	-	17.12.18	-	12.02.19	19.03.19	-
17.	111	प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	112	उप वन संरक्षक, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ, चमोली	-	-	-	13.08.18	18.09.18	-	-	-	-	-	19.03.19	-
19.	सी-35	निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल	-	-	-	13.08.18	-	-	19.11.18	17.12.18	-	-	-	08.05.19
20.	121	प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व, कालागढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	151	प्रभागीय वनाधिकारी, लैसडौन वन प्रभाग, कोटद्वारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.03.19	-
22.	152	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैसडौन	-	-	11.07.18	-	-	11.10.18	-	-	-	-	-	-
23.	153	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	-	-	11.07.18	-	-	-	14.11.18	-	-	-	-	-
24.	154	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	155	प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार	-	12.08.18	-	-	-	12.10.18	19.11.18	17.12.18	19.01.19	18.02.19	15.03.19	08.05.19

क्र० सं	एफ. आर.डी. कोड	प्रभाग/वृत्त	2018-19 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
26.	161	प्रभागीय वनाधिकारी, अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल	11.05.18	-	-	14.08.18	-	-	-	12.12.18	-	-	-	-
27.	162	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग नैनीताल	-	-	11.07.18		-	15.10.18	-	17.12.18	-	-	12.03.19	-
28.	163	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	-	-	20.07.18	-	-	-	-	17.12.18	-	-	-	-
29.	164	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत	18.05.18	15.06.18	17.07.18	-	19.09.18	-	13.11.18	17.12.18	-	15.06.19	-	-
30.	181	प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	182	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	183	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, विकास भवन रुद्रपुर	11.05.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	184	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर,	11.05.18	-	-	14.08.18	11.09.18	-	-	13.12.18	14.01.19	15.02.19	12.03.19	-
34.	185	प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर	-	-	-	-	20.09.18	-	19.11.18	-	-	-	18.03.19	-
35.	191	उप वन संरक्षक, चक्राता वन प्रभाग, कालसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	192	प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	193	उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	194	प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र० सं०	एफ. आर.डी. कोड	प्रभाग / वृत्त	2018-19 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
39.	सी-05	मुख्य वन संरक्षक,(गढ़वाल), पौड़ी, उत्तराखण्ड	-	-	19.07.18	-	18.09.18	-	16.11.18	14.12.18	14.01.19	-	13.03.19	-
40.	सी-14	वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड, फेरीहाल, तल्लीताल, नैनीताल	-	-	-	-	-	-	-	13.12.18	14.01.19	-	13.03.19	23.04.19
41.	सी-36	निदेशक, उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी, नैनीताल	18.05.19	-	20.07.18	-	17.09.18	15.10.18	-	-	18.01.19	-	18.03.19	30.04.19
42.	301	वन वर्धनिक, साल क्षेत्र, हल्द्वानी	-	-	-	14.08.18	-	-	19.11.18	13.12.18	11.01.19	-	-	23.04.19
43.	सी-32	उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.02.19	-	-
44.	सी-33	उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव. विहार, पुरोला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	सी-34	निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क देहरादून	-	-	-	-	12.09.18	15.10.18	-	11.12.18	-	12.03.19	-	-
46.	सी-38	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वन विभाग के नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले लेखाओं का योग			10	07	11	12	16	13	11	18	15	12	19	10

परिशिष्ट-4

नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले लेखाओं की सूची जलागम विभाग
(प्रस्तर-1 भाग प्रथम)

क्र. सं.	एफ. आर. डी. कोड	प्रभाग / वृत्त	2018-19 मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
1.	सी-24	परियोजना निदेशक, प्रशासनिक विभाग, वसन्त विहार, देहरादून	-	-	11.07.18	20.08.18	11.09.18	-	-	-	-	-	12.03.19	24.04.19
2.	सी-26	परियोजना निदेशक, यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकोरेती	-	-	-	-	18.09.18	-	-	-	-	-	12.03.19	-
3.	261	उप परियोजना निदेशक, यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. फेज-2, विकास नगर, देहरादून	-	-	12.07.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	265	उप निदेशक, यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. (पी.एम.यू.) देहरादून	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	266	उप परियोजना निदेशक यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी., फेज-2, थत्यूड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	267	उप परियोजना निदेशक यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. फेज-2, पौड़ी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	सी-27	परियोजना निदेशक, यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी	11.05.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.03.19	-

क्र. सं.	एफ. आर. डी. कोड	प्रभाग / वृत्त	2018-19 मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
8.	273	उप परियोजना निदेशक यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. फेज-2, बागेश्वर	17.05.18	15.06.18	12.06.18	-	11.09.18	-	-	-	-	-	-	
9.	274	उप परियोजना निदेशक यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. गंगोलीहाट, फेज-2, पिथौरागढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.03.19	-	
10.	275	उप परियोजना निदेशक यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. फेज-2, अल्मोड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
जलागम प्रभाग के नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले लेखाओं का योग			02	01	03	01	04	00	01	01	00	00	04	01
वन एवं जलागम प्रभाग के नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले लेखाओं का योग (3+4)			12	08	14	13	19	13	11	18	15	12	23	11

परिशिष्ट-5

नियत तिथि के बाद मिलान कराने वाले वन प्रभागों की सूची
(प्रस्तर-2 भाग प्रथम)

क्र0 सं0	एफ0 आर0 डी0	वृत्त / प्रभाग
प्रथम त्रैमास		
1.	022	प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
2.	042	प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर,
3.	111	प्रभागीय वनाधिकारी,, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर,
4.	155	उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार,
5.	163	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल
6.	194	उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग, पुरोला
7.	265	उप परियोजना निदेशक, पी0एम0यू0, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, यू0डी0डब्लू0डी0पी0, देहरादून
द्वितीय त्रैमास		
1.	021	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी
2.	022	प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
3.	041	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी
4.	083	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
5.	085	प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत
6.	111	प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर
7.	153	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून
8.	155	प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार
9.	161	प्रभागीय वनाधिकारी, अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल
10.	163	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल
11.	164	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत

12.	181	प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी
13.	185	प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
14.	सी-32	उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी
15.	सी -35	निदेशक, कार्बट टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल
16.	सी -36	निदेशक, उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी, नैनीताल
17.	सी -27	परियोजना निदेशक, यू.डी.डब्ल्यू. डी.पी. कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी
तृतीय त्रैमास		
1.	021	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी
2.	022	प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
3.	023	उप वन संरक्षक, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी
4.	024	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम-1, नई टिहरी
5.	042	प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
6.	082	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर
7.	083	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
8.	085	प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत
9.	111	प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर
10.	164	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत
11.	182	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी
12.	सी-14	वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड, फेरीहाल, तल्लीताल, नैनीताल
13.	सी-35	निदेशक, कार्बट टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल

चतुर्थ त्रैमास

1.	021	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी
2.	151	प्रभागीय वनाधिकारी, लैसडौन वन प्रभाग, कोटद्वार
3.	155	उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार,
4.	192	प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट
5.	सी-34	निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क देहरादून

परिशिष्ट-6

“मासिक लेखों के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति न भेजने वाले प्रभागों की सूची”

(प्रस्तर-3 भाग प्रथम)

क्र0 सं0	एफ.आर. डी.कोड	प्रभाग / वृत्त	टिप्पणी
वन विभाग			
1.	083	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा	कार्बन कॉपी संलग्न
2.	084	प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	कार्बन कॉपी संलग्न
3.	085	प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत	फोटोकॉपी संलग्न
जलागम प्रभाग			
1.	266	उप परियोजना निदेशक, यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी., फेज-2, थत्यूड़, टिहरी	फोटोकॉपी संलग्न
2.	267	उप परियोजना निदेशक यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. फेज-2, पौड़ी	फोटोकॉपी संलग्न
3.	273	उप परियोजना निदेशक यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. फेज-2, बागेश्वर	फोटोकॉपी संलग्न
4.	274	उप परियोजना निदेशक यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. गगोलीहाट, फेज-2, पिथौरागढ़	फोटोकॉपी संलग्न
5.	275	उप परियोजना निदेशक यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. फेज-2, अल्मोड़ा	फोटोकॉपी संलग्न

परिशिष्ट-7

मासिक लेखों के साथ संलग्न वर्गीकृत सार के अन्त में दिया जाने वाला

प्रमाण-पत्र

1—मैं प्रमाणित करता हूँ कि (जहां तक मैं खातों व वाउचरों की परीक्षा द्वारा सुनिश्चित करने में समर्थ रहा और सम्पादित कार्यों, जिन्हें मैं देख सका, व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा सुनिश्चित करने में समर्थ रहा) व्यय जो इस लेखा के नामे लिखा गया है, को सरकार के हितों का उचित ध्यान रखते हुए, टाला नहीं जा सकता था। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि जहां तक मुझे जानकारी और विश्वास है इस खाते में जो भुगतान प्रविष्ट किये गये हैं वे उचित रीति से उन पक्षों को किये गये हैं जो उन्हें प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वेतन और यात्रा भत्तों तथा वापसी एवं अग्रिमों के भुगतानों के लिये सभी वाउचर, ₹1000 की धनराशि के अन्य भुगतानों के वाउचर एवं समस्त मदों जिन्हें अन्य विभागों के साथ खाता संक्रमण द्वारा समायोजित किया गया हो, के लिए वाउचर उस लेखा से संबद्ध किये गये हैं। मैंने यथासंभव अन्य धनों के लिये वाउचरों को प्राप्त कर लिया है और मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हूँ कि उन्हें इस प्रकार से नष्ट कर दिया गया है कि उनको पुनः प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है।

2—मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि सभी वस्तुएं, जो इस प्रपत्र से संबद्ध किये गये वाउचरों में व्योरेवार दी गई हैं और जो इस कार्यालय में रखी गयी हैं, संयुक्त रूप से अच्छी स्थिति में प्राप्त की गई हैं और भण्डार पंजी में अभिलिखित की गई हैं। मात्राएँ सही हैं और किस्म अच्छी है, भुगतान की गई दरें स्वीकृत बाजार दरों से अधिक नहीं हैं। दोहरा भुगतान रोकने के लिये भुगतान की उचित टिप्पणियाँ सम्बन्धित मांग-पत्र और बीजकों के समुख अभिलिखित कर दी गई हैं।

3—मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि इस प्रपत्र से सम्बद्ध प्रपत्र एवं वाउचरों में विस्तृत रूप से दी गई दरें संविदा बन्ध-पत्र में निर्दिष्ट दरों के संदर्भ में सही हैं।

4—मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि पशु जिनके लिये पारितोषक आहरित किये गये हैं, को वस्तुतः नष्ट कर दिया गया है और मेरे सामने प्रस्तुत किये गये हैं और यह कि उनकी खोपड़ियों को, जैसा कि सरकार ने आदेश दिया है, दोहरा भुगतान रोकने के लिये तोड़ दिया गया है।

5—यह भी प्रमाणित करता हूँ कि किये गये आंशिक भुगतान किये गये कार्य के अनुमानित मूल्य द्वारा आच्छादित हैं।

6—मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि अधीनस्थ कर्मचारियों जिन्हें कार्यालय प्रासंगिक व्यय के नामे लिखा गया है, को वस्तुतः रखा गया एवं उन्हें भुगतान किया गया है तथा उनके अंगूठा निशान वितरण अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किये गये हैं।

दिनांक.....

प्रभाग का प्रभारी

परिशिष्ट-8

“वन/जलागम प्रभागों की सूची जिनके द्वारा दिये गये वन अग्रिम का समायोजन/वसूली लम्बित है”
(प्रस्तर-5 भाग प्रथम)

क्रम संख्या	एफ0आर0डी0 कोड	डी0डी0ओ0	वृत्त / प्रभाग	धनराशि ₹ में
वन प्रभाग				
1.	024	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-1, नई टिहरी	4.70
2.	025	प्रभागीय वनाधिकारी	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर	.39
3.	044	प्रभागीय वनाधिकारी	अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर	0.09
4.	045	प्रभागीय वनाधिकारी	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग	0.47
5.	083	प्रभागीय वनाधिकारी	अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	4.98
6.	085	प्रभागीय वनाधिकारी	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत	3703
7.	121	उप वन संरक्षक	कालागढ़ टाइगर रिजर्व, लैंसडौन	25488.15
8.	152	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैंसडौन	8.50
9.	153	प्रभागीय वनाधिकारी	देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	10134
10.	163	प्रभागीय वनाधिकारी	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	68.65
11.	164	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत	135.37
12.	181	प्रभागीय वनाधिकारी	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी	25024.96
13.	182	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी	66572.86
14.	183	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, विकास भवन रुद्रपुर	0.65
15.	सी-32	उप निदेशक	गंगोत्री, राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी	179.00
16.	सी-33	उप निदेशक	गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला	1.05
17.	सी-34	निदेशक	राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून	0.40
18.	सी-35	निदेशक	कार्बट टाइगर रिजर्व, रामनगर, उत्तराखण्ड (नैनीताल)	2934.00
कुल राशि				134261.22

क्रम संख्या	एफ0आर0डी0 कोड	डी0डी0ओ0	वृत्त / प्रभाग	धनराशि ₹ में
जलागम				
1.	सी-24	परियोजना निदेशक, प्रशाठ	जलागम प्रबन्ध निदेशालय, वसन्त विहार, देहरादून	308
कुल राशि				308

परिशिष्ट-9

“मासिक लेखों के साथ कोषागार जमा के चालानों की मूल प्रति (8782-00-103-01) न भेजने वाले वन विभागों की सूची”
(प्रस्तर-7 भाग प्रथम)

क्र0 सं0	एफ.आर. डी. कोड	प्रभाग / वृत्त
1.	021	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी
2.	023	उप वन संरक्षक, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी
3.	024	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम-1, नई टिहरी
4.	042	प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर,
5.	043	प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी
6.	044	प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर
7.	081	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़
8.	082	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
9.	083	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
10.	084	प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
11.	085	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
12.	155	उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार,
13.	181	प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी
14.	192	प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट
15.	194	प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला
16.	सी-34	निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून
17.	301	वन वर्धनिक, साल क्षेत्र, हल्द्वानी

परिशिष्ट-10

“मासिक लेखों के साथ अनावश्यक रूप से आयकर/बिक्रीकर एवं स्टाम्प शुल्क शामिल करने वाले प्रभागों की सूची”

(प्रस्तर-8 भाग प्रथम)

क्र0 सं0	एफ.आर.डी. कोड	प्रभाग / वृत्त
वन प्रभाग		
1.	045	प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग
2.	081	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़
3.	082	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
4.	084	प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
5.	085	प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत
6.	163	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल
जलागम प्रभाग		
1.	265	उप निदेशक, यू०डी०डब्ल्य०डी०पी० (पी.एम०य०) देहरादून
2.	267	उप परियोजना निदेशक यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. फेज-2, पौड़ी
3.	273	उप परियोजना निदेशक यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. फेज-2, बागेश्वर
4.	सी-24	परियोजना निदेशक, प्रशाठ० जलागम प्रबन्ध निदेशालय, वसन्त विहार, देहरादून
5.	सी-26	परियोजना निदेशक, यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरेती
6.	सी-27	परियोजना निदेशक, यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी

परिशिष्ट-11

“एफ0यू0 श्रेणी के ऋणात्मक प्रकरणों (वन विभाग) का वर्ष 2018-19 तक का विवरण”
(प्रस्तर-9 भाग प्रथम)

क्र0 संख्या	अभिदाता का नाम	लेखा संख्या	विभाग का नाम	व्याज (वर्ष से)	ऋणात्मक राशि (₹में)
1.	श्री किशोरी लाल	FU-12352	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी	03 / 2007	28,816
2.	स्व0 ललित मोहन जोशी	FU-15692	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	03 / 2008	68,278
3.	श्री जीवन सिंह बिष्ट	FU-18406	वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल	07 / 2010	92,224
4.	श्री आनन्द सिंह रावत	FU-18434	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	10 / 2009	8,513
5.	श्री हुलासी सिंह यादव	FU-18602	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	07 / 2009	35,424
6.	स्व0 श्री हर प्रसाद	FUA-19242	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, भवाली, नैनीताल	11 / 2009	9,106
7.	श्री भुवन चन्द्र कार्की	FU-18419	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	09 / 2014	1,03,775
योग					346136.00

परिशिष्ट-12

चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नत कर्मचारियों के साभानियों खाते में धनराशि का स्थानान्तरण न किये जाने वालों की सूची
 (प्रस्तर-9 भाग प्रथम)

क्रम संख्या	साभानियों खाता संख्या	नाम	आहरण वितरण अधिकारी
1.	FUA-18763	कान्ति प्रसाद नैथानी	उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
2.	FUA-20117	मदन लाल शाह	प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर
3.	FUA-20414	श्याम सिंह	उप वन संरक्षक, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी
4.	FUA-20729	खजान सिंह रावत	प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट
5.	FUA-18932	केदार सिंह	प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व, कालागढ़
6.	FUA-18879	उमेद लाल	प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग

परिशिष्ट-13

“मासिक लेखों में रोकड़ बही (ई-7) में अनुदान संख्या/मुख्य लेखा शीर्ष न दर्शाने वाले वन प्रभागों की सूची”

(प्रस्तर- 14 भाग प्रथम)

क्रम संख्या	एफ0आर0डी0 कोड	वृत्त / प्रभाग	पता
7.	022	प्रभागीय वनाधिकारी	उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
8.	024	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-1, नई टिहरी
9.	042	प्रभागीय वनाधिकारी	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर,
10.	043	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी
11.	044	प्रभागीय वनाधिकारी	अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर
12.	045	प्रभागीय वनाधिकारी	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग
13.	081	प्रभागीय वनाधिकारी	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
14.	082	प्रभागीय वनाधिकारी	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
15.	151	प्रभागीय वनाधिकारी	पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़
16.	152	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैंसडौन
17.	155	उप वन संरक्षक	हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार,
18.	181	प्रभागीय वनाधिकारी	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी
19.	185	प्रभागीय वनाधिकारी	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
20.	192	प्रभागीय वनाधिकारी	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट
21.	193	उप वन संरक्षक	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
22.	111	प्रभागीय वनाधिकारी	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर
23.	सी-34	निदेशक	राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून
24.	सी-38	वन संरक्षक	पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी
25.	265	उप परियोजना निदेशक	पी0एम0यू0, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, यू0डी0डब्लू0डी0पी0, देहरादून
26.	273	उप परियोजना निदेशक	यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. फेज-2, बागेश्वर
27.	सी-24	परियोजना निदेशक,	जलागम प्रबन्ध निदेशालय, वसन्त विहार, देहरादून

परिशिष्ट-14

“मासिक लेखों के साथ कोषागार मिलान का प्रपत्र संलग्न न करने वाले वन प्रभागों की सूची”

(प्रस्तर-10 भाग प्रथम)

क्रम संख्या	एफ0आर0डी0 कोड	वृत्त / प्रभाग	पता
1.	सी-33	उप निदेशक	गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला
2.	सी-34	निदेशक	राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून

परिशिष्ट-15

“मासिक लेखों के साथ सी०सी०एल / डी०सी०एल० पास बुक की प्रति संलग्न न करने वाले को प्रभाग”

(प्रस्तर- 11 भाग प्रथम)

क्रम संख्या	एफ०आर०डी० कोड	वृत्त / प्रभाग	पता
1.	सी-35	निदेशक	कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, उत्तराखण्ड (नैनीताल)
2.	163	प्रभागीय वनाधिकारी	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

परिशिष्ट-16

“मासिक लेखों के साथ सी0टी0आर0 (प्राप्ति) 8782 की प्रति संलग्न न करने वाले को प्रभाग”
 (प्रस्तर- 13 भाग प्रथम)

क्रम संख्या	एफ0आर0डी0 कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
1.	043	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी
2.	081	प्रभागीय वनाधिकारी	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
3.	083	प्रभागीय वनाधिकारी	अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
4.	085	प्रभागीय वनाधिकारी	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत
5.	163	प्रभागीय वनाधिकारी	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल
6.	182	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी
7.	194	प्रभागीय वनाधिकारी	टौन्स वन प्रभाग, पुराँला, उत्तरकाशी

परिशिष्ट-17

‘वन जमा आय-व्यय विवरण प्रपत्र (ई-23) को मासिक लेखों के साथ संलग्न न करने वाले वन प्रभागों की सूची’

(प्रस्तर-12 भाग प्रथम)

क्रम संख्या	एफ0आर0डी0 कोड	वृत्त / प्रभाग	पता
1.	021	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी
2.	022	प्रभागीय वनाधिकारी	उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
3.	023	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी
4.	024	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-1, नई टिहरी
5.	025	प्रभागीय वनाधिकारी	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर
6.	026	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-2 वन प्रभाग, उत्तरकाशी
7.	042	प्रभागीय वनाधिकारी	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
8.	043	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी
9.	081	प्रभागीय वनाधिकारी	पिथौरागढ़ वन प्रभाग पथौरागढ़
10.	082	प्रभागीय वनाधिकारी	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
11.	083	प्रभागीय वनाधिकारी	अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
12.	084	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा
13.	154	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी
14.	164	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत
15.	192	प्रभागीय वनाधिकारी	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट
16.	193	उप वन संरक्षक	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
17.	301	वन वर्धनिक	साल क्षेत्र, हल्द्वानी
18.	सी-14	वन वर्धनिक	हिल रीजन, नैनीताल
19.	111	प्रभागीय वनाधिकारी	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर

परिशिष्ट-18

(भाग-द्वितीय)

वन प्रभाग को प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण जिनके प्रथम उत्तर दिनांक 31.03.2019 तक प्राप्त नहीं हुये

हैं।

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रभाग का नाम
1.	RS/FOREST/01/2018-19	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
2.	RS/FOREST/11/2018-19	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल।
3.	RS/FOREST/12/2018-19	प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल।
4.	RS/FOREST/23/2018-19	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी, देहरादून।
5.	RS/FOREST/15/2018-19	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
6.	RS/FOREST/30/2018-19	प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
7.	RS/FOREST/31/2018-19	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
8.	RS/FOREST/65/2018-19	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग देहरादून।
9.	RS/FOREST/64/2018-19	निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व देहरादून।
10.	RS/FOREST/80/2018-19	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।
11.	RS/FOREST/74/2018-19	अपर प्रमुख वन संरक्षक, (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) देहरादून।
12.	RS/FOREST/82/2018-19	प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार।
13.	RS/FOREST/79/2018-19	प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी, चक्रराता।
14.	RS/FOREST/84/2018-19	प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।
15.	RS/FOREST/88/2018-19	प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।
16.	RS/FOREST/94/2018-19	प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
17.	RS/FOREST/97/2018-19	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
18.	RS/FOREST/95/2018-19	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
19.	RS/FOREST/102/2018-19	प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग लैन्सडॉन
20.	RS/FOREST/104/2018-19	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत।
21.	RS/FOREST/103/2018-19	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडॉन वन प्रभाग कोटद्वार।
22.	RS/FOREST/119/2018-19	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल।
23.	RS/FOREST/111/2018-19	प्रभागीय अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
24.	RS/FOREST/120/2018-19	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

परिशिष्ट-19

कैश / कैप अनुभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रीय लेखा परीक्षण के दौरान लेखाओं में पायी गयी अनियमितताओं का विवरण

क्रम संख्या	माह	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / मेमो संख्या	खण्ड का नाम	महत्वपूर्ण अनियमितताओं का विवरण	धनराशि ₹ में
1.	अप्रैल-18	09	निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व देहरादून	किन कारणों से ₹ 58500 एवं ₹ 29300/- का समायोजन प्रविष्टि नहीं की गयी।	58500/-
2.	अप्रैल-18	10.	निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व देहरादून	क्या सक्षम अधिकारी द्वारा उपरोक्त व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।	138000/-
3.	अप्रैल-18	11	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग देहरादून	क्या सक्षम अधिकारी द्वारा उपरोक्त व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।	26372/- Settled
4.	अप्रैल-18	12	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग देहरादून	क्या सक्षम अधिकारी द्वारा उपरोक्त व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।	75339/- Settled
5.	अप्रैल-18	13	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग देहरादून	क्या सक्षम अधिकारी द्वारा उपरोक्त व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।	342871/- Settled
6.	मई-18	26	निदेशक कार्बट टाइगर रिजर्व रामनगर(नैनीताल)	किन कारणों से ₹24400 का भुगतान अधिक किया गया।	24400/-
7.	मई-18	27	निदेशक कार्बट टाइगर रिजर्व रामनगर(नैनीताल)	वर्ष 2017-18 के परिश्रमिकों का भुगतान 2018-19 में किन कारणों से किया।	25376/-
8.	मई-18	28	निदेशक कार्बट टाइगर रिजर्व रामनगर(नैनीताल)	मित्तल मैडिकोस द्वारा प्रदर्शित बिल में जो सामग्री इकाई द्वारा क्रय की गयी उस सामग्री पर GST नहीं लगायी गई।	50000/-
9.	मई-18	29	निदेशक कार्बट टाइगर रिजर्व रामनगर(नैनीताल)	बिन्दू सं01 से 05 के सम्बन्ध में सामग्री के छोटे-छोटे टुकड़ों में क्रय किये जाने के कारण।	120000/-

10.	मई-18	30	निदेशक कार्बट टाइगर रिजर्व रामनगर(नैनीताल)	फर्म द्वारा बिल सं.49 दिनांक 31.01.2018 को जबकि बिल सं.50 दिनांक 28.02.2018 को तैयार किया गया चूँकि बिलों को कमवार तैयार किया जाता है इसलिए उपरोक्त प्रकरण अव्यवहारिक प्रतीत होता है।	29000/-
11.	मई-18	31	प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग नरेन्द्रनगर मुनिकीरेती	क्या उक्त व्यय 8443-109 वन जमा भुगतान मण्डी समिति शीर्ष से ही किया जाना था। यदि हाँ साक्ष्य प्रस्तुत करें।	333672/- Settled
12.	मई-18	32	प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग नरेन्द्रनगर मुनिकीरेती	साक्ष्य प्रस्तुत करें कि भुगतान की गई फर्म पंजीकृत है या नहीं।	68310/- Settled
13.	जून-18	39	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन, प्रभाग नैनीताल	वाउचर सं.01 / Ag में ₹47323- 03Ag में ₹ 2600-104 Ag, 190 Ag, का भुगतान किया है जिसमें त्रुटियाँ पायी हैं उक्त भिन्नता में संबंधित कार्य के अनुबंध पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करें।	80000/-
14.	जून-18	38	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन, प्रभाग नैनीताल	वाउचर सं.276 / Ag एवं 289 Ag में भारित व्यय से संबंधित धनराशि का भुगतान किस माध्यम से किया गया है। चैक एवं बिल संलग्न नहीं हैं।	138103/-
15.	जून-18	37	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन, प्रभाग नैनीताल	बिलों का भुगतान 2012-13 एवं 2014-15 से संबंधित का भुगतान माह जून 2018 में करने का कारण।	9767499/-
16.	जून-18	36	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन, प्रभाग नैनीताल	वित्तीय वर्ष 2012-13 के लीसा फसल की रॉयल्टी का भुगतान वर्ष 2018-19 में किन कारणों से किया गया।	101934/-
17.	जून-18	35	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन, प्रभाग नैनीताल	बिलों का भुगतान 2016-17 से संबंधित है जबकि भुगतान 06/18 में किया गया।	884000/-
18.	जून-18	34	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन, प्रभाग नैनीताल	क्या उपरोक्त व्यय हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ली गयी।	3435/-
19.	जुलाई-18	66	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	वाउचर पंजिका व मासिक लेखा पंजिका में दर्शित कुल भुगतान व्यय ₹ 74188 की भिन्नता को स्पष्ट करें।	74188/-
20.	जुलाई-18	65	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	यदि 18 वन पंचायतों का भुगतान एक ही वाउचर (18 Ag) से किया गया है तो मासिक लेखा पंजिका में अलग क्यों दिखाया है।	75000/-
21.	जुलाई-18	64	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	Ag 01 से Ag 17 तक वाउचरों पर दर्शित कार्यों के विवरण व धनराशि में सुधार कर उचित रूप से वाउचर पंजिका में एवं मासिक लेखा पंजिका में सुचीबद्ध करके स्पष्टीकरण कर दर्शायें।	-

22.	जुलाई-18	62	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी	वाउचर मासिक लेखा पंजिका एवं बिल संख्या 36 की भिन्नता का साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण।	15200/- 22666/- Settled
23.	जुलाई-18	61	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी	वाउचर सं 165 Ag में वन आरक्षी आवास में खिड़की दरवाजे की मरम्मत की गयी परन्तु वाउचर में सामग्री क्यों योग में त्रुटि पाई गई।	2470/- Settled
24.	अगस्त-18	81	उप- निदेशक, यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 फेज-2, पिथौरागढ़ प्रभाग पिथौरागढ़	जलागम उपचार के अध्यक्ष जल एवं जलागम प्रबन्धन समिति को किये गये कार्य के सापेक्ष प्रतिपूर्ति की धनराशि ₹ 291258 का भुगतान किया गया परन्तु भुगतान रसीद संलग्न नहीं है।	291258/- Settled
25.	अगस्त-18	82	उप- निदेशक, यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 फेज-2, पिथौरागढ़ प्रभाग पिथौरागढ़	₹ 189000 का भुगतान ग्राम पंचायत गोल के बाबत किया गया परन्तु payment की प्राप्ति रसीद संलग्न नहीं।	189000/- Settled
26.	सितम्बर-18	109	उप-परियोजना निदेशक, PMU यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 फेज-2, जलागम प्रबन्धन निदेशालय देहरादून।	₹ 36000- का भुगतान Data entry operator salary (माह अगस्त) से किया गया। जबकि वाउचर में उक्त के विपरीत कार्य के सम्पादन करने हेतु माह 08/18 का उनकी बैंक गारंटी एवं अनुबन्ध के प्राविधानों के सापेक्ष अग्रिम भुगतान विवरण दर्शाया है।	36000/-
27.	सितम्बर-18	110	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडॉन वन प्रभाग, कोटद्वार	वाउचर सं. Ag 04 से Ag 06 तक के बिल का कुल भुगतान ₹ 9206- किया गया जबकि उपरोक्त वाउचरों के साथ फर्मा का बिल संलग्न नहीं।	9206/-
28.	सितम्बर-18	111	प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार	वित्तीय वर्ष 2017-18 के बिलों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में किन कारणों से किया गया जबकि उक्त कार्य Deposit work के लिए पारित धनराशि से संबंधित था।	130400/-
29.	सितम्बर-18	112	प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार	विगत वित्तीय वर्ष का भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में किन कारणों से किया गया।	192500/-
30.	अक्टूबर-18	132	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी	निर्माण कार्यों हेतु फर्मा के चुनाव से सम्बन्धित आदेश की व अनुबन्ध पत्र की छायाप्रतियाँ आवश्यक दस्तावेज	14742/- Settled

31.	अक्टूबर-18	133	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी	उक्त वाउचरों के माध्यम से किये गये व्ययों के विलम्ब (लगभग 2 वर्षों) से भारित करने के कारण।	48000/- Settled
32.	अक्टूबर-18	134	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल	कार्य का भुगतान देरी से (2वर्ष बाद) करने के कारण।	143371/-
34.	अक्टूबर-18	136	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी गढ़वाल	किन कारणों से वाउचरों के साथ स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गयी।	199418/- Settled
35.	अक्टूबर-18	137	प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी	उपरोक्त वाउचरों पर भारित व्यय से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति। आदेश की प्रति एवं आवश्यक दस्तावेज छायाप्रति सहित उपलब्ध करायें।	1538295/- Settled
36	नवम्बर-18	155	परियोजना निदेशक यू०डी०डल्य००पी० गढ़वाल क्षेत्र मुनिकीरेती	वाउचर के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं, जिससे स्पष्ट हो कि उक्त खर्च इसी मद से सम्बन्धित है।	894980/- Settled
37.	नवम्बर-18	156	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़	वाउचर के साथ किसी भी प्रकार के दस्तावेज, स्वीकृति आदेश, टेन्डर आदि संलग्न नहीं पाये गये। जिससे भुगतान न्याय संगत प्रतीत हो।	214995/-
38.	नवम्बर-18	157	प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर, (नैनीताल)	-----तदैव-----	
39.	नवम्बर-18	158	प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर, (नैनीताल)	क्या इकाई द्वारा उत्तराखण्ड Procurement Rule 3(10) का पालन किया जो अधिप्राप्ति मूल्य क्य करने के लिये आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया।	188460/-
40.	दिसम्बर-18	174	प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर	कार्य विवरण पत्रावली व व्यय भारित में अंकित धनराशि में भिन्नता।	239930.97/- 228492/-
41.	दिसम्बर-18	173	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी	कार्य का भुगतान 3 वर्ष बाद करने के कारण स्पष्ट करें।	20160/-
42.	दिसम्बर-18	172	मुख्य परियोजना निदेशक य०डी० डल्य००पी० ग्राम्य-2 ग्राम्य परियोजना देहरादून	क्या एडवांस की प्रतिपूर्ति सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से ली गई थी।	30000/-